

न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी महवा जिला दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्य जज रामकिशन वगै० बनाम राज० सरकार मु०नं० 83/2022	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01.08.2025	<p>आज पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने के कारण खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद संलग्न रहे।</p> <p>आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p><i>Mansur</i> उपखण्ड अधिकारी महवा जिला दौसा</p>	